फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भवानीशंकर जोशी निवासी धनवन्त परिवार, राजकीय विद्यालय के पास, पो. टीकड़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द पिन कोड 313332 **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 69/2023**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 09.10.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से जरिये क्रमांक/आर.टी. आई/2023/277 दिनांक 04.10.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना ग्राम टीकड़ खाता संख्या 216 नया 210 खसरा संख्या 1494, 1496, 1497, 1498 से संबंधित जानकारी चाही गयी है। उक्त संबंध में जांच रिपोर्ट भू. अ. निरीक्षक सैलागुडा एवं पटवारी हल्का खाखरमाला द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम टीकड़ प. म. खाखरमाला के वर्तमान खाता संख्या 210 में दर्ज आ. न. 1494/0.1400, 1497/0.1900, 1497/0.1600, 1498/0.1100 कुल किता 4 रकबा 0. 6000 है0 गीतादेवी पत्नी रमेशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी टीकड़ के नाम दर्ज है। राजस्व ग्राम टीकड़ का वर्तमान आ.न. 1499 रकबा 0.0500 किस्म चाही 0.0200 जाव 0.0300 खाता संख्या 185 में दर्ज होकर कोठेश्वर महादेव जी स्थान हिस्सा पूर्ण उप कृषक भगवानलाल पिता कालु मु. मुली बेवा कालु 1/6 एकलिंग, खरताराम, भंवरलाल, मांगीलाल, वरदीचन्द पिता हांसा 5/6 ब्राह्मण निवासी टीकड़ के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित आ.न. 1494, 1496, 1497, 1498, 1499 कृषि भूमि दर्ज है। उक्त भूमि का अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण अभी तक नहीं हुआ है वर्तमान में उक्त भूमि कृषि भूमि की किस्म के रूप में ही दर्ज है। उक्त भूमि पर बिना स्वीकृति/रूपान्तरण दुकाने बनाए जाने की सूचना प्राप्त होने पर पटवारी हल्का खाखरमाला द्वारा दिनांक 28.08.2023 मौके पर जाकर देवस्थान भूमि 1499 में निर्माण नहीं करने तथा खातेदारी भूमि आ.न. 1498 में भूमि रूपान्तरण करवाने पश्चात निर्माण करने हेतु	

कार्यालय जिला कलक्टर

खातेदार/उप कृषक का पाबंद किया गया। दिनांक 19.09.2023 को पुनः मौके पर गीता देवी पत्नी रमेश चन्द्र द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्य को बंद करवाया गया तथा औजार जब्त किये गये। वर्तमान में मौके पर निर्माण कार्य बंद है।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)